



कार्यालय प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, कोटा (राज)

अजमेर
जयपुर महोत्सव

(NAAC द्वारा "A" ग्रेड प्राप्त संस्थान)

Email address principalgckota@gmail.com

क्रमांक:- 225-30

दिनांक:- 17/05/23

कार्यालय आदेश

कोटा विश्वविद्यालय, कोटा के आदेश क्रमांक F:6()Res/UOK/2023/217-21 दिनांक 15.05.2023 की निरंतरता में राजकीय महाविद्यालय कोटा शोध केन्द्र पर अध्ययनरत पी.एच.डी. शोधार्थियों से लिए जाने वाले शुल्क को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-

1.विकास शुल्क (Development Fee)	
(अ) भारतीय छात्रों हेतु (For Indian Students)	1000 /रु. प्रतिवर्ष
(ब) विदेशी छात्रों हेतु (For Foreign Students)	10000 /रु. प्रतिवर्ष
2.अध्ययन शुल्क (Tution Fee)	3000 /रु. प्रतिवर्ष
3.पुस्तकालय शुल्क (Library Fee)	2000 /रु. प्रतिवर्ष
4.सुरक्षा राशि (Caution Money) वापसी योग्य (Caution Money)	1000 /रु. एकमुश्त
5.अन्य शुल्क (पहचान पत्र, मैगजीन, साइकल स्टैंड इत्यादि)	1000 /रु. प्रतिवर्ष
6.प्राैक्टिकल विषयों हेतु प्रयोगशाला शुल्क (रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान)	5000 /- /रु. प्रतिवर्ष
7.विलंब शुल्क (देय होने पर)	500 /- रु. प्रतिवर्ष

नोट:-

- 1.पीएच.डी हेतु नवीन पंजीकृत होने वाले विद्यार्थियों हेतु संशोधित शुल्क इस आदेश के जारी होने की तिथि से लागू मानी जायेगी।
- 2.पीएच.डी विद्यार्थियों के शुल्क की गणना उनके पंजीकरण की तिथि से की जाती है। अतः पूर्व में स्थाई अथवा अस्थायी रूप से पंजीकृत विद्यार्थियों हेतु उक्त आदेश जारी होने की तिथि के बाद की तिथि से प्रारंभ होने वाले पंजीकरण वर्ष हेतु नवीन शुल्क दरें लागू होगी।
- 3.जिन विद्यार्थियों के स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र पूर्व में जारी हो चुके हैं, उन्हें सुरक्षा राशि (कॉशन मनी) रु. 1000/- तथा नवीन शुल्क दरों के अनुरूप देय राशि उक्त आदेश के जारी होने के बाद की तिथि से प्रारंभ होने वाले पंजीकरण वर्ष की तिथि से करना अनिवार्य होगा।
- 4.पूर्व में स्थाई पंजीकृत विद्यार्थी इस आदेश के जारी होने की तिथि 30 दिवस के भीतर अपना पूर्व के वर्षों का गकाया समस्त शुल्क जमा करवा दें अन्यथा 500/रु. प्रतिवर्ष की दर से विलंब शुल्क लिया जायेगा। विलंब शुल्क की गणना प्रतिवर्ष के देय शुल्क के लिए अलग-अलग होगी तथा प्रतिवर्ष के आधार पर की जायेगी।
- 5.भविष्य में प्रत्येक शोधार्थी को शोध वर्ष के प्रथम 30 दिवस में अपना समस्त शुल्क जमा कराना अनिवार्य है, अन्यथा विलंब शुल्क देय होगा।

क्रमांक:-

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ-

- 1.सचिव विकास समिति, राजकीय महाविद्यालय, कोटा।
- 2.समन्वयक UGC(NAAC) समिति, राजकीय महाविद्यालय, कोटा।
- 3.लेखा शाखा/कैशियर।
- 4.वेब प्रभारी, राजकीय महाविद्यालय, कोटा को प्रेषित कर लेख है कि महाविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
- 5.रक्षित पत्रावली।

प्राचार्य

राजकीय महाविद्यालय, कोटा

दिनांक:-

प्राचार्य

राजकीय महाविद्यालय, कोटा